रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032020-218845
CG-DL-E-21032020-218845

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1069] **नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 21, 2020/चैत्र 1, 1941**
No. 1069] **NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 21, 2020/CHAITRA 1, 1941**

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2020

का.आ. 1197(अ).—केन्द्र सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड-19 वायरस से होने वाले संक्रमण (इंफेक्शन) की रोकथाम के लिए मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई), मास्क, मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई) के उत्पादन में कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले मेल्ट ब्लोन नोन-वोवन फैब्रिक और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश को मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई), मेल्ट ब्लोन नोन-वोवन फैब्रिक और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों का निर्धारण आदेश, 2020 कहा जाएगा।

(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. (1) मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई) के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले मेल्ट ब्लोन नोन-वोवन फैब्रिक की खुदरा कीमतें दिनांक 13.03.2020 से एक माह पहले की तारीख अर्थात् दिनांक 12.02.2020 को प्रचलित कीमतों से अधिक नहीं होंगी।

(2) मास्क (3 प्लाई सर्जिकल मास्क) की खुदरा कीमतें दिनांक 13.03.2020 से एक माह पहले की तारीख अर्थात् दिनांक 12.02.2020 को प्रचलित कीमतों अथवा 10 रुपये प्रति मास्क, जो भी कम हो, और मास्क (2 प्लाई) की खुदरा कीमतें 8 रुपये प्रति मास्क से अधिक नहीं होंगी।

(3) हैंड सैनिटाइजर की कीमतें 200 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल के लिए रुपये 100/- से अधिक नहीं होंगी, हैंड सैनिटाइजर की अन्य मात्रा के लिए कीमतें इन कीमतों के यथानुपातिक आधार पर निर्धारित की जाएंगी।

3. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से दिनांक 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. एस-26(1)/2020-ईसीआरएंडई]

अवधेश कुमार चौधरी, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2020

S.O. 1197(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 2A and section 3, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, hereby makes the following Order, to regulate the prices of masks (2ply & 3ply), the Melt Blown non-Woven Fabric used as raw material in production of masks, masks (2ply & 3ply) and hand sanitizers for preventing infections due to COVID-19 virus namely :—

1. (1) This order may be called the fixation of prices of masks (2ply & 3ply), Melt Blown non-Woven Fabric and hand sanitizers Order, 2020.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. (1) The retail prices of Melt Blown non-Woven Fabric used in manufacturing masks (2ply & 3ply), shall not be more than the prices prevailing on the day one month prior to 13.03.2020 i.e. the prices prevailing on 12.02.2020.

(2) The retail prices of masks (3ply surgical mask), shall not be more than the prices prevailing on the day one month prior to 13.03.2020 i.e. as on 12.02.2020 or not more than Rs.10 per piece whichever is lower and that of mask (2ply) shall not be more than Rs.8 per piece.

(3) The retail prices of hand sanitizer shall not be more than Rs.100/- per bottle of 200ml the prices of other quantities of hand sanitizers shall be fixed in the proportion of these prices.

3. This Notification shall remain in force for a period upto 30th June, 2020 from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. S-26/1/2020-ECR&E]

A.K. CHOUDHARY, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.21 14:45:50 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218808
CG-DL-E-19032020-218808

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1051]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2020/फाल्गुन 29, 1941
No. 1051]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2020/PHALGUNA 29, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2020

का.आ. 1169(अ).—केन्द्र सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (2) (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विषाणु (वायरस) और जीवाणु (बैक्टीरिया) के कारण होने वाले संक्रमण (इन्फेक्शन) को रोकने के लिए हैंड सैनिटाइजर के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले अल्कोहल के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, कीमतों और अन्य पहलुओं को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश को आवश्यक वस्तुओं के कच्चे माल के रूप में सामग्री और सामग्री की कीमत आदेश, 2020 कहा जाएगा।

   (2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. (1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में, किसी आवश्यक वस्तु के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल को आवश्यक वस्तु माना जाएगा।

   (2) हैंड सैनिटाइजर के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले अल्कोहल की कीमतें केंद्र सरकार की सहमति के बिना दिनांक 05.03.2020 को प्रचलित कीमतों से अधिक नहीं होंगी।

3. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से दिनांक 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. एस-26/1/2020-ईसीआरएंडई]

अवधेश कुमार चौधरी, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2020

S.O. 1169(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 2A and section 3, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, hereby makes the following Order, to regulate the production, quality, distribution, prices and other aspects of alcohols used in manufacturing the Hand Sanitizers for preventing infections due to virus and bacteria, namely :—

1. (1) This order may be called the ingredients and prices of the ingredients as raw materials of Essential Commodities Order, 2020.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. (1) In the Essential Commodities Act, 1955, the raw material used in manufacturing as essential commodity shall be treated as essential commodity.

(2) The prices of the alcohols used in manufacturing the hand sanitizers shall not exceed from those prevailing on 05.03.2020 without concurrence of the Central Government.

3. This Notification shall remain in force for a period up to 30th June, 2020 from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. S-26/1//2020-ECR&E]

A. K. CHOUDHARY, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.19 21:25:21 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032020-218645
CG-DL-E-13032020-218645

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 980]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941
No. 980]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

का.आ. 1087(अ).—केन्द्र सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, लॉजिस्टिक्स (कोविड 19 प्रबंधन के लिए) को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश को आवश्यक वस्तु आदेश, 2020 कहा जाएगा।

   (2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में, अनुसूची में, क्रम संख्या (7) के पश्चात् निम्नलिखित मद को जोड़ा जाएगा, नामतः—

   "(8) मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर"।

3. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से दिनांक 30 जून, 2020 की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. एस-26(1)/2020-ईसीआरएंडई]

अवधेश कुमार चौधरी, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2020

S.O. 1087(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2A, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, hereby makes the following Order, to regulate the production, quality, distribution, logistics of masks (2ply & 3ply surgical masks, N95 masks) & hand sanitizers (for COVID 19 management) namely :—

1. (1) This order may be called the Essential Commodities Order, 2020.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Essential Commodities Act, 1955, in the Schedule, after serial No. (7), the following item shall be added, namely:—

"(8) masks (2ply & 3ply surgical masks, N95 masks) & hand sanitizers".

3. This Notification shall remain in force for a period up to 30th June, 2020 from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 26(1)/2020-ECR&E]

A. K. CHOUDHARY, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.13 20:27:44 +05'30'